उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग–4
संख्या–रा0क0–4–371/11–2021–300(5)/18
लखनऊ::दिनांक 04 अक्टूबर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल पर ऑन लाइन रिफण्ड माड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल रिफण्ड की प्रक्रिया निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या–क0नि0–4–219/11–2018–300(5)/2018, दिनाँक 23.02.2018, तथा शुद्धि पत्र संख्या–क0नि0–4–282/11–2018/300(5)/18 दिनाँक 21.03.2018 निर्गत किया गया है।

2– शासनादेश दिनांक 23.02.2018 के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(3) में मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 30.06.2018 तक के लिए लागू किया गया था। शासनादेश दिनांक 21.05.2020 द्वारा इस प्रक्रिया को दिनांक 30.06.2020 तक तथा शासनादेश दिनांक 04.11.2020 द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया था, जिसे सम्यक विचारेपरान्त भारतीय सैन्य बलों की कैन्टीन को 50 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 एवं 50 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 रिफण्ड किए जाने के लिए मैनुअल रिफण्ड की प्रक्रिया को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ाये जाने तथा उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी रिफण्ड जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– उक्त शासनादेश दिनाँक 23.02.2018 व शुद्धि पत्र दिनांक 21.03.2018 की शेष अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0संख्या–एफ0ए0–1–39/दस–2021, दिनाँक–29 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ओम प्रकाश तिवारी
संयुक्त सचिव।

सं0–रा0क0–4–371(1)/11–2021, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3–समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उ0प्र0 द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर।
4–एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5–वित्त (लेखा) अनुभाग–1
6–गार्ड बुक।

एडि0कमि0 (GST)

JC(GST)
04-10-2021
ACCT(GST)
04-10-21

1555

ज्वाइंट कमिश्नर
4-10-21

आज्ञा से,
(राम सिधारे)
अनु सचिव।